(19)

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चन्द्रपुरा (बोकारो) ।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1943 का नियम 120)

जिला-- बोकारो , वाद संख्या ......12....... / 2013–2014

केस का प्रकार– **अमीन मापी**

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11.12.13	आवेदक श्री छत्रधारी महतो, पिता– स्व0 ऋतु महतो एवं अन्य ग्राम– बंदियो(लाहरबेडा), पो0– बिरनी, थाना– नावाडीह, जिला–बोकारो ने आवेदन पत्र देकर निम्नांकित भूमि का मापी कर सिमांकन कराने का अनुरोध किया है:– **भूमि का विवरण:–** मौजा: बंदियो; थाना नं0: नावाडोह / 94; खाता नं0: 68; प्लॉट नं0: 549,726; रकवा: आर0ई0ओ0 रोड (0.50 एकड) हल्का कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि प्राप्त आवेदन का जाँच कर जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। 11/12/13 अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा।	
18.12.13.	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। राजस्व कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा– बंदियो, थाना नं0–94, खाता नं0– 68, प्लॉट नं0– 726, एवं 549, रकवा– 0.50 एकड, गैरमजरूआ खास खाते की है, जिसमे सरकारी रास्ता पूर्व से बना हुआ है। अंचल अमीन से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि इसकी मापी में एक दिन का समय लग सकता है अतः आवेदक को आदेश दिया जाता है कि कुल–01 (एक)दिन का मापी शुल्क अंचल नजारत में जमा करें, तत्पश्चात् सरकारी अमीन को मापी हेतु आदेश निर्गत किया जाएगा। 18/12/13 अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा।	
~~18.12.13~~ 8.1.14	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक ने अमीन शुल्क जमा किया है। अतः दिनांक....18.1.14.......को मापी की तिथि निर्धारित की जाती है। आदेश निर्गत करें; संबंधित पक्षं को प्रतिलिपि दें। 8/1/14 अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा।	

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चन्द्रपुरा (बोकारो)

अमीन मापी केश नं0– 12 / 13–14

आदेश

आवेदक **श्री छत्रधारी महतो, पिता – स्व0 ऋतु महतो, साकिन–बंदियो (लाहरबेडा)** , जिला–बोकारो के द्वारा निम्नांकित भूमि का मापी हेतु आवेदन पत्र दिया गया है।

विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	प्रकार
बंदियो	94	68	726, 549	50 डी0	रास्ता

उक्त भूमि का मापी हेतु **दिनांक** 29/01/2014..... तिथि निर्धारित करते हुए अंचल अमीन को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि को 11:00 बजे पूर्वाहन् संबंधित हल्का कर्मचारी के साथ उपस्थित होकर उक्त स्थल का मापी कर मापी पुर्ण होने के उपरांत मापी प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर नक्शा के साथ अधोहस्ताक्षरी को उपस्थापित करें।

21.1.14

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा।

ज्ञापांक.......49........**दिनांक** 23/1/14 ।

प्रतिलिपिः– श्री लक्ष्मण दास ,अंचल अमीन एवं संबंधित हल्का कर्मचारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–1. छत्रधारी महतो, पिता – स्व0 ऋतु महतो, साकिन–बंदियो (लाहरबेडा) 2. मंगर गोप, बेनी गोप ', पिता–स्व0 बंधू गोप, साकिन–बंदियो (लाहरबेडा), जिला–बोकारो। को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि को ससमय मापी स्थल पर अपने–अपने मूल कागजात के साथ उपस्थित रहकर सरकारी अमीन को अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगें।

21.1.14

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा।

Digitally signed by Naresh Kumar Verma
Date: 2024.08.14 12:26:59 +05:30
Location: 192.168.1.36